मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
ए ब्लॉक, प्रथम तल, वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल.– 462 003

Email :- md.mfpfed@mp.gov.in, mpmfpit@gmail.com
Website :- www.mfpfederation.org

विशेष अभियान के तहत दिव्यांगजन (निःशक्तजन) की भर्ती हेतु विज्ञापन

दिव्यांगजन (निःशक्तजन) के लिये "वॉक–इन–इन्टरव्यू" के माध्यम से की जानी वाली भर्ती हेतु

// विज्ञापन //

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 8–2/2013/आप्र/एक दिनांक 04.01.2024 में उल्लेखित समय–सीमा एवं वन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ1/5/5/0002/2024-Sec-1-10 दिनांक 13.09.2024 व आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल पत्र क्रमांक/1746 दिनांक 09.12.2024 द्वारा दी गई स्वीकृति के अंतर्गत दिव्यांगजन (निःशक्तजन) हेतु चिन्हांकित रिक्त पद की "वॉक–इन–इन्टरव्यू" के माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश में भर्ती अभियान के तहत पूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में दिव्यांग (निःशक्त) उम्मीदवारों से आवेदन पत्र दिनांक 26.12.2024 तक आमंत्रित किये जाते है। रिक्त पद का विवरण, शैक्षणिक योग्यताएं एवं शर्तें निम्नानुसार हैः–

पदनाम	पद श्रेणी	वेतनमान	श्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या				वॉक–इन–इन्टरव्यू हेतु निर्धारित तिथि	रिमार्क
			दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर रिस्ट्राफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगत, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलाँगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	19500–62000	01	01	01	01	इन्टरव्यू के लिये पृथक से सूचना दी जावेगी	निःशक्त जन हेतु आरक्षित उक्त पदों पर किसी भी प्रवर्ग के हो सकते है।

शैक्षणिक योग्यताः–

1	सहायक ग्रेड–3	मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12 वी कक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली के अनुसार हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना. अनिवार्य है, और हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान हो। उक्त अर्हता के अतिरिक्त कम्प्यूटर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा में हिन्दी टायपिंग की न्यूनतम गति 20 शब्द प्रति मिनिट के साथ (सी.पी.सी.टी.) उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड) धारित करना अनिवार्य है तथा निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थानों में से किसी एक संस्थान से कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र अनिवार्य हैः– 1. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। 2. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यांलय से डिप्लोमा। 3. डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा। 4. शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न आफिस मैनेजमेंट कोर्स। 5. शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एक वर्षीय "कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट " (COPA) प्रमाण पत्र। सहायक ग्रेड–3 की उक्त अर्हता में म.प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के कार्यों की आवश्यकता अनुसार या म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित अर्हता के संबंध में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश अनुसार निर्धारित अर्हता बंधनकारी होगी।

नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तेः–

1. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 26.12.2024 होगी। आवेदन पत्र डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से शासकीय अवकाश को छोड़कर कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल में प्राप्त किये जावेंगे। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. आवेदक की आयु सीमा दिनांक 01.01.2024 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक न हो। आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों को 05 वर्ष की छूट का प्रावधान है।
3. आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. आवेदक का जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होगा अनिवार्य होगा। पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6. म.प्र. शासन के नियम अनुसार जिनकी दो से अधिक जीवित संतान है, तथा उनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् हुआ हो तो ये आवेदन करने की पात्र नहीं होगे।
7. विज्ञापन में दर्शाये गये आवेदन पत्र के प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार होगा। अन्य प्रारूप में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेगें। आवेदन पत्र पर पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो लगाना अनिवार्य होगा। आवेदन की शर्त पूर्ण न करने अथवा अपूर्ण आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। इस संबंध में अलग से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
8. आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, निवास प्रमाण–पत्र, स्थायी ज़ाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की छायाप्रतियां सत्यापित कर लगाना अनिवार्य होगा।
9. चयनित उम्मीदवार का पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन करवाया जावेगा। अनुकूल नहीं पाये जाने पर नियुक्ति बिना कारण बताये निरस्त कर दी जावेगी।
10. आवेदक को उनके चयन की सूचना उनके आवेदन पत्र में दर्शाये गये वर्तमान पत्र व्यवहार के पते पर डाक द्वारा दी जावेगी।
11. आवेदन पत्रों को स्वीकार/अस्वीकार किये जाने का अधिकार चयन हेतु गठित समिति का होगा। विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय चयन समिति का ही मान्य होगा।
12. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/कार्यालय में कार्यरत आवेदनकर्ता को नियोक्ता अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाता है तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्ण सूचना दिये बगैर आवेदन पत्र किसी भी स्तर से निरस्त किया जा सकेगा।
14. बिना किसी पूर्व सूचना के चयन प्रक्रिया को स्थगित या निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित के पास रहेगा। चयन नियुक्ति में चयन समिति, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ का निर्णय अंतिम होगा।
15. आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति, मूल निवासी, जन्मतिथि, श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग आदि) से संबंधित प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित अंकसूची/अभिलेखों की अभिप्रमाणित छायाप्रति (स्वयं के द्वारा प्रमाणित संलग्न की जावे)।
16. केवल यूडीआइडी पोर्टल से सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र (डिजीटल प्रमाण–पत्र) ही मान्य किया जावेगा।
17. मेरिट के आधार पर वॉक–इन–इन्टरव्यू के लिए आमंत्रित किया जावेगा।
18. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार तीन वर्ष की परिवीक्षा पर प्रथम वर्ष वेतनमान का 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
19. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र कमांक/एफ–7–19/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 31.05.2024 में दिये निर्देशों के बिन्दु कमांक 2.6 अनुसार शासकीय सेवाओं में जिन दिव्यांगजनों का चयन हुआ है, उनके दिव्यांगता प्रमाण–पत्रों की जॉच नियुक्ति आदेश के बाद उनके कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड से मेडीकल अनिवार्य है।

20. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–7–19/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 31.05.2024 में दिये निर्देशों के बिन्दु क्रमांक–2.7 अनुसार मूक बधिर श्रेणी के दिव्यांगतनों की शासकीय भर्ती के पूर्व मेडिकल बोर्ड में बैरा टेस्ट (Bera Test) अनिवार्य है।

प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य लघु वनोपज संघ
भोपाल